

प्रेषक,

निदेशक, पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

आहरण एवं वितरण अधिकारी,
पंचायती राज निदेशालय, उत्तर प्रदेश।

संख्या: 1/शा0/76/2018-1/31/2018

लखनऊ: दिनांक 29 सितम्बर, 2018

विषय: वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-81 में ट्राइबल सबप्लान में केन्द्रांश रू0 2145.00 लाख का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप सचिव, पंचायती राज अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-77/2018/3152/33-3-2018-100(19)/2015 दिनांक 27 सितम्बर, 2018 (प्रति संलग्न) के अन्तर्गत स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अनुदान संख्या-81 में अनुपूरक के माध्यम से आय-व्ययक प्राविधानित धनराशि रू0-3575.00 लाख के सापेक्ष केन्द्रांश रू0 2145.00 लाख (रूपये इक्कीस करोड़ पैतालिस लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गई है। अतः उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशि रू0 2145.00 लाख (रूपये इक्कीस करोड़ पैतालिस लाख मात्र) निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित की जाती हैं:-

1-आवंटित की जा रही धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) के अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30 मार्च, 2018 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2018/बी-1-438/दस-2018-231/2018, दिनांक 24-04-2018 में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्तानुसार आवंटित धनराशि/जनपदवार आवंटित केन्द्रांश/परिव्यय प्राप्त होने के उपरान्त ही आहरित किया जायेगा तथा धनराशि निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों/नियमानुसार ही व्यय किया जायेगा। आवंटित धनराशि का व्यय/उपयोग उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा जिसके लिए यह आवंटित की जा रही है। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व नोडल अधिकारी का होगा।

3- उपरोक्त के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

4-प्रश्नगत धनराशि टी0एस0पी0 राज्यांश के अन्तर्गत प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष उसी सीमा तक व्यय की जायेगी जिस सीमा तक एस0टी0 लाभार्थियों हेतु एस0टी0पी0 राज्यांश अनुमन्य होगा। केन्द्रांश प्राप्त हो जाने पर ही राज्यांश का आहरण/व्यय किया जायेगा।

5-इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिए गए दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उक्त आवंटित की जा रही धनराशि के विरुद्ध निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर सम्पूर्ण विवरण/सूचनायें परीक्षण/सत्यापन हेतु लेखा एवं बजट अनुभाग को उपलब्ध करायी जाय।

6-भारत सरकार द्वारा निर्गत स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की गाइड लाइन की व्यवस्था के अनुसार उक्त आवंटित धनराशि को यूनियन बैंक आफ इण्डिया, शाखा गोमती नगर, लखनऊ में उ0प्र0 स्टेट सेनीटेशन मिशन (SSM) के नाम से खोले गये खाता संख्या-521302010060034, आई0एफ0एस0सी0 कोड यू0बी0आई0एन-0552135 में जमा किया जायेगा।

7-भारत सरकार द्वारा निर्गत स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की गाइड लाइन व्यवस्था के अनुसार उक्त अवमुक्त धनराशि निर्धारित समयान्तर्गत जनपदों को अवमुक्त की जायेगी।

8-उक्त धनराशि का व्यय एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 के लिये योजना आयोग भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा-निर्देश के अनुसार किया जायेगा। उक्त धनराशि का व्यय प्रश्नगत योजना के क्रियान्वयन हेतु समय-समय पर निर्गत मार्ग निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा।

9-उक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-81 के लेखाशीर्षक "2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-796-जनजाति क्षेत्र उपयोजना-02-स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)-0201-स्वच्छ शािचालय का निर्माण (जिला योजना) (के060/रा040-के0+रा0)-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" के नामें डाला जायगा।

10-शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-सीए-934/दस-2008-मि0-1/2007 दिनांक 02-09-2008 का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

11-आहरण वितरण अधिकारी द्वारा धनराशि का आहरण तिथि, बाउचर संख्या, आहरण की धनराशि सूचना निर्धारित रूपपत्र बी0एम0-4 पर बजट एवं लेखा अनुभाग को तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

12-उक्त धनराशि का व्यय उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु समय-समय पर निर्गत विस्तृत मार्ग निर्देशों एवं स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की गाइड लाइन की व्यवस्था के अनुरूप किया जायेगा।

13-उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर आहरण एवं वितरण अधिकारी इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे।

14-धनराशि का पूर्ण उपभोग हो जाने पर उपभोग प्रमाण-पत्र निर्धारित रूपपत्र पर महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद तथा निदेशालय को उपलब्ध कराया जाये।

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या-128 पर अंकित है।

संलग्न:-उक्तानुसार।

भवदीय,

(मासूम अली सरवर)

निदेशक,

पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

संख्या:1/शा0/76/1/2018 उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, इलाहाबाद।
- 2- वरिष्ठ उपमहालेखाकार स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15-1, महर्षि दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ0प्र0, इलाहाबाद-211001.
- 3- अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 4- उपसचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
- 5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 6- बजट प्रकोष्ठ/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 7- उप निदेशक(पं0)/योजना प्रभारी, पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0।
- 8- एस0पी0एम0यू0 सेल, पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0 को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

(मोनिस अली सिद्धीकी)

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2018-2019
आवंटन दिनांक-28/09/2018

प्रेषण संख्या:- 1-sha-76-2018-1-31-2018
आवंटन आदेश संख्या:- 004-1-31-2018
अनुदान संख्या:- 81 समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)(वित्तीय वर्ष 2018-2019 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम(आयोजनेत्तर-मतदेय)

796 - जन जातीय क्षेत्र उपयोजना
02 - स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
01 - स्वच्छ शौचालय का निर्माण (जिला योजना) (के 60/रा 40-के+रा)
(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान -सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-2287-निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0, लखनऊ-01-पंचायत राज निदेशालय	वर्तमान प्रगामी	214500000 537790000	214500000 537790000
	योग	वर्तमान प्रगामी	214500000 537790000	214500000 537790000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया इक्कीस करोड़ पैंतालीस लाख

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया तिरेपन करोड़ सतहत्तर लाख नब्बे हजार

(मोमिंस अली सिद्दीकी)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी

1/11/2018/76/2018

संख्या- 77/2018/3152/33-3-2018-100(19)/2015

प्रेषक ,

जोगेन्द्र प्रसाद,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायतीराज,
उ०प्र०, लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक: 27 सितम्बर, 2018

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-81 में ट्राइबल सबप्लान (अनुसूचित जनजाति) मध्य में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत केन्द्रांश की धनराशि रु. 2145.00 लाख की धनराशि अवमुक्त किए जाने के संबंध में।

महोदय,

सम्बन्धित विषयक मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) उ०प्र० के पत्र संख्या-9/41/18/2018-5/40/2018, दिनांक 05.09.2018 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30.03.2018 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-3/2018/बी-1-438/दस-2018-231/2018 दिनांक 24.04.2018 एवं वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2 के कार्यालय जाप संख्या-16/2018/बी-2-979-10-2018-244/2018 दिनांक 01.09.2018 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार के पत्र दिनांक 25.01.2018 द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत अनुदान संख्या-81 में केन्द्रांश की धनराशि रु. 9226.92 लाख अवमुक्त किया गया था। वित्तीय वर्ष 2017-18 में धनराशि प्रावधानित न होने के कारण उक्त धनराशि अवमुक्त नहीं हो सकी थी। अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-81 में अनुपूरक मांग के माध्यम से धनराशि रु. 3575.00 लाख का प्रावधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-81 में मूल बजट में रु०-3232.90 लाख का आय-व्ययक प्रावधान किया गया था, जिसके क्रम में शासनादेश संख्या-46/2018/1608/33-3-2018-100(19)/2015 दिनांक 17.05.2018 द्वारा राज्यांश के रूप में धनराशि रु. 1276.76 लाख, शासनादेश संख्या-41/2018/1007/33-3-2018-100(19)/2015 दिनांक 25.04.2018 द्वारा केन्द्रांश के रूप में धनराशि रु. 41.00 लाख एवं शासनादेश संख्या-42/2018/1010/33-3-2018-100(19)/2015 दिनांक 25.04.2018 द्वारा केन्द्रांश के रूप में धनराशि रु. 1915.14 लाख इस प्रकार धनराशि रु. 3232.90 लाख को अवमुक्त किया जा चुका है।

भारत सरकार के पत्र दिनांक 25.01.2018 द्वारा केन्द्रांश की धनराशि रु. 9226.92 लाख अवमुक्त की गयी थी जिसमें से शासनादेश दिनांक 25.02.2018 द्वारा केन्द्रांश की धनराशि रु. 920.67 लाख एवं शासनादेश दिनांक 25.04.2018 द्वारा केन्द्रांश की धनराशि रु. 1915.14 लाख इस प्रकार कुल धनराशि रु. 2835.81 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

अतः वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत अनुदान संख्या-81 (अनुसूचित जनजाति) में अनुपूरक मांग के माध्यम से प्रावधानित धनराशि 3575.00 लाख में से केन्द्रांश की धनराशि रु. 2145.00 लाख (रु. इक्कीस करोड़ पचासी लाख मात्र) को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय व्यय हेतु आपके निर्वर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) निर्वर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30.03.2018 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-3/2018/बी-1-438/दस-2018-231/2018 दिनांक 24.04.2018 में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि/जनपदवार आवंटित केन्द्रांश/परिव्यय प्राप्त होने के उपरान्त ही आहरित किया जायेगा तथा धनराशि को निर्धारित शर्तों, प्रतिबंधों/नियमानुसार ही व्यय किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा जिसके लिए यह स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

(3) उक्त वित्तीय स्वीकृति जारी करने के संबंध में स्पष्ट किया जाती है कि धनराशि का आवंटन(एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ०प्र० बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हेण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्य राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।

(4) प्रश्नगत धनराशि टी०एस०पी० राज्यांश के अन्तर्गत प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष उसी सीमा तक व्यय की जायेगी जिस सीमा तक एस०टी० लाभार्थियों हेतु एस०टी०पी० राज्यांश अनुमन्य होगा। केन्द्रांश प्राप्त हो जाने पर ही राज्यांश का आहरण/व्यय किया जायेगा।

(5) इस संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिए गए दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि के विरुद्ध निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर सम्पूर्ण विवरण/सूचनार्य परीक्षण /सत्यापन हेतु समाज कल्याण विभाग को उपलब्ध कराई जाए।

(6) भारत सरकार द्वारा निर्गत स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की गाइड लाइन की व्यवस्था के अनुसार उक्त अवमुक्त धनराशि को यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा गोमतीनगर, लखनऊ में उ0प्र0 स्टेट सैनीटेशन मिशन (एस0एस0एम0) के नाम से खोले गये खाता संख्या- 521302010060034 आई0एफ0एस0सी0 कोड यूबीआईएन 0552135 में जमा किया जायेगा।

(7) भारत सरकार द्वारा निर्गत स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की गाइड लाइन की व्यवस्था के अनुसार उक्त अवमुक्त धनराशि निर्धारित समयान्तर्गत जनपदों को अवमुक्त की जायेगी।

(8) उक्त धनराशि का व्यय एस0सी0एस0पी0 /टी0एस0पी0 के लिए योजना आयोग भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा-निर्देश के अनुसार किया जायेगा। उक्त धनराशि का व्यय प्रश्नगत योजना के क्रियान्वयन हेतु समय-समय पर निर्गत मार्ग निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा।

(9) उक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या- 81 के अन्तर्गत उक्त धनराशि लेखाशीर्षक"2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना -02-स्वच्छ भारत मिशन" (ग्रामीण)-0201-स्वच्छ शौचालय का निर्माण (जिला योजना) (के.60/रा.40/के.+रा.)-20-सहायता अनुदान- सामाज्य (धर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

(10) शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या- सीए-934/दस-2008-मि-1/2007 दिनांक 02.09.2008 का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

(11) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय की सूचना प्रारम्भिक रूप में सी0एम0-13 पर लेखाशीर्षक /मदवार प्रत्येक माह की 20 तारीख तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

(12) उक्त धनराशि का व्यय उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु समय-समय पर निर्गत विस्तृत मार्ग निर्देशों एवं स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) की गाइड लाइन की व्यवस्था के अनुरूप किया जायेगा।

2- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30.03.2018 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-3 के कार्यालय जाप संख्या-3/2018/बी-1-438/दस-2018-231/2018 दिनांक 24.04.2018 में प्रतिनिधित्वित अधिकांश के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(जोगेन्द्र प्रसाद)

उप सचिव।

संख्या तथा दिनांक उल्लेखित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महासंचालक (निष्ठा एवं हकदारी) उ0प्र0 इलाहाबाद।
- 2- प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 प्रदेश शासन।
- 3- प्रमुख जनपदों के जिलाधिकारी/कोषाधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी उ0प्र0।
- 4- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 5- अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, लखनऊ।
- 6- एन0आई0सी0 की प्रति।
- 7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-3/वित्त(बजट) अनुभाग-2
- 8- बजट प्रकोष्ठ /कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग।
- 9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जोगेन्द्र प्रसाद)

उप सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2018-2019
आवंटन दिनांक-28/09/2018

प्रेषण संख्या:- 1-sha-76-2018-1-31-2018
आवंटन आदेश संख्या:- 004-1-31-2018
अनुदान संख्या:- 81 समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)(वित्तीय वर्ष 2018-2019 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम(आयोजनेत्तर-मतदेय)

796 - जन जातीय क्षेत्र उपयोजना
02 - स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
01 - स्वच्छ शौचालय का निर्माण (जिला योजना) (के 60/रा 40-के+रा)
(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान -सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-2287-निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0 , लखनऊ-01-पंचायत राज निदेशालय	वर्तमान प्रगामी	214500000 537790000	214500000 537790000
	योग	वर्तमान प्रगामी	214500000 537790000	214500000 537790000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया इक्कीस करोड़ पैतालीस लाख
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया तिरेपन करोड़ सतहत्तर लाख नब्बे हजार

(मोहिस शशी सिद्दीकी)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी

::